

वारीख  
दुयम

दुयम या कार्यवाही मय इतिहासकृत जज

मय  
अधिकारी  
दुयम या  
में जज

से गौका द्विपट प्राप्त हुई जिले शा. १० क्रि.प. १७७५  
वकील प्रार्थी ने गौका द्विपट पर नवस करनी-वाही  
बदल भुनी गयी। वास्ते-पत्रावली आदेश लेते  
नियत दिनांक २७-६-१९ को पेश हो।

२७-६-१९

उपरोक्त स्थिति में पीछेकी न्यायिक कार्यवाही  
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है। पत्रिका में  
अतः पत्रावली दिनांक २७-६-१९ को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी नरहर

२-७-१९

-पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पैरोकार  
सरकार उपस्थित, उग्रयपक्षों की बहस के दौरान  
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व  
दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार  
किये जाने की इस्त इच्छा की,

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उग्रयपक्षों  
की बहस पर मगन किया विवादित आराजियात  
ग्राम दाता लुहारिया पटवार हल्का लुहारिया तहसील  
मोडल के खाता सं- ८। में आराजी सं- १२७७  
बक्रवा ०२-सित्वा जी. गु. चाट स्थित है संवत् २०३५  
से २०३७ की जमाबंदी में उक्त आराजियात बरदा,  
होरा पिता प्रताप, हीतर, धन्ना पिता गोकल भण्जा  
पिता नन्दा कुम्हार के नाम पर दर्ज रिकॉर्ड थी। बरदा  
जी के निधन के पश्चात उक्त आराजियात में बरदा  
पिता प्रताप की जगह उनके वारिसान होंगा, होरा,  
पिता बरदा, कुं कुं मेवा हरलाल भाबालीग बालु  
पुत्र हरलाल के नाम दर्ज करने की मंजूरी दिनांक  
२२-६-१९८१ को हुई, प्रताप जी के दो पुत्र बरदा  
व होरा हुए तथा बरदा की मृत्यु के उपरान्त बरदा  
के भाग की आराजियात का जामान्तरण बरदा के  
वारिसान के नाम पर खोल दिया गया। उसी

उपखण्ड अधिकारी  
मोडल जिला पीतावाड़ा

हुकम या कार्यवाही भय इतिशयल्ला जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

समय वरदा के एक पुत्र का नाम हीरा होने की  
पक्ष से हीरा-पिता प्रताप का नाम राजस्वकर्मियारी  
की क्लस से राजस्व रेकार्ड में अंकित होने से रह  
गया तथा हीरा पिता प्रताप की मृत्यु हो चुकी है तथा  
प्राणी हीरा का एक मात्र जायदा पुत्र है तहसीलदार  
माण्डल की रिपोर्ट में बताया कि जमाबंदी रोटेशन  
2038-41 में जमाबंदी खिरती समय हीरा-पिता प्रताप  
का नाम छूट गया। इसलिए हीरा-पिता प्रताप का  
नाम दर्ज कर विरासत से गुझ प्राणी का नाम राजस्व  
रेकार्ड में अंकित कराया जाये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्राणी अपने प्रार्थना  
पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

∴ ∴ आदेश ∴ ∴

प्राणी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act  
का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांता लुहारिया  
पटवार इल्का लुहारिया तहसील माण्डल में स्थित  
आराजी सेख्या 1297 रकबा 02 बिस्वा गै. मु. चाह  
भूमि में हीरा पिता प्रताप कुम्हार का नाम दर्ज किया  
जाकर हीरा की मृत्यु हो जाने से विरासत से हीरा  
पिता प्रताप कुम्हार के बजाय बालू पिता हीरा कुम्हार  
का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का  
आदेश दिया जाता है।

पालना हेतु तहसीलदार माण्डल को निर्णय की प्रति भिज  
वाते हुए खिरवा जावे। पत्रावली फ़ैसल नुमार की  
जाकर दफ्तर दाखिल हो।

उपजज अधिकारी  
माण्डल जिला नीलवाड़ा